

न्यायालय तहसीलदार जालोर


सरकार बनाम उदाजी S/o दत्ताजी रेवारी  
मुकदमा नं. 15/2019 RCMS-00007/2019  
धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित, पटवारी हल्का ~~वि.क.स.र.~~ की रिपोर्ट अनुसार मौजा रेवारी के खसरा नं. 1343 रकबा 0:1250 किस्म गै.भू.अ.गोर भूमि पर संवत् 2076 में कब्जा रूप में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता में पर्याप्त समय देने के बावजूद कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। अतः राज 0 भूरा 0 अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर ..... रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0:1250 हैक्टर की दर 1:92 रुपये का पचास गुणा से 96 रुपये अक्षरे ~~हिन्दु~~ रुपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.12.19 को सुनाया गया।

  
तहसीलदार, जालोर  
तहसीलदार, जालोर